


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक 96/25

दिनांक 26.9.25

-- :: निर्णय :: --

प्राथी श्री चन्दन सिंह पुत्र प्रभु लाल ने पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खेडली पटवारी माफत गुगोर तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2074-75 के खाता संख्या 121 में खातेदार/पैरबन्धेदार का नाम/जाति चन्दन सिंह पुत्र प्रभु लाल अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से चन्दन सिंह अंकित किया जावे। प्राथी के आवेदन पत्र की जाच पटवारी गुगोर से करवाने पर पटवारी ने चन्दन सिंह के बजाय चन्दन सिंह करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में चन्दन सिंह के बजाय चन्दन सिंह करना उचित बताया। अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1953 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम खेडली के खाता संख्या 121 में खातेदार/पैरबन्धेदार का नाम/जाति चन्दन सिंह के स्थान पर सम्मानजनक रूप से चन्दन सिंह दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार नगर रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
(Land Record Officer)  
छबड़ा जिला बारां  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)